



# जोधपुर नगर निगम, जोधपुर

जोधपुर नगर निगम कार्यालय परिसर के अन्दर, गौरव पथ, जोधपुर



दिनांक- 01/06/2022

क्रमांक- 572

I.B.T.(B) 02 / 2020-29

श्रीमति तीषा मिदवानी प्रति श्री कपिल मिदवानी  
मुखण्ड सं. 321ए (दक्षिणी भाग), पसरिया रोड नं. 04  
सेक्टर ए, शार मीनगर, जोधपुर।

## ::- भवन निर्माण आदेश ::-

विषय :- आवासीय भवन निर्माण प्रयोजनार्थ स्वीकृति हेतु।

प्रसंग :- आपका आवेदन पत्र दिनांक 05.12.2019।

उपरोक्त विभागास्तर्गत एवं प्रशासिक मंडित भवन निर्माण अनुमति समिति की बैठक दिनांक 11.02.2020 के प्रस्ताव संख्या 38 के अस्तर्गत अनुमोदित मानचित्र के अनुसार आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

- 1 बालकॉनी व छल्ले का निर्माण नहीं करेंगे।
- 2 पडौसी की बिल्डिंग लाईन को यथावत रखेंगे।
- 3 मानचित्र एवं पट्टे में यदि चबूतरा दर्शाया गई है तो उसे खुली रखेंगे।
- 4 खालसा भूमि पर किसी प्रकार की तांगीर का निर्माण नहीं करेंगे।
- 5 स्वागित्त के संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में यह निर्माण स्वीकृति भ्रूय होगी।
- 6 वर्षा जल संग्रहण संरचना का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
- 7 भविष्य में बकाया राशि निकालने पर जमा करवाने को बाध्य रहेंगे।
- 8 भवन में नियमानुसार अग्नि शमन सुख्खा व्यवस्था करनी होगी।
- 9 दी गई भवन निर्माण स्वीकृति के विपरीत निर्माण/उपयोग होने पर यह निर्माण स्वीकृति शून्य मानी जायेगी।
- 10 भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु दी गई अनुज्ञा के स्वागित्त के प्रमाण के रूप में नहीं माना जायेगा।
- 11 निर्माण स्थल पर 'X' के बोर्ड पर स्वीकृत मानचित्र व आदेश की प्रति को प्रदर्शित करना होगा एवं निर्माण पूर्ण सावधानी पूर्वक करना होगा, किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर नगर निगम उत्तरदायी नहीं होगा।
- 12 भवन निर्माणकर्ता द्वारा स्वीकृत नक्शे के अनुरूप निर्माण किये जाने के दौरान किसी भी प्रकार का मलबा अथवा बिल्डिंग मटेरियल सड़क पर नहीं डाला जावेगा। यदि किसी भी प्रकार का मलबा/बिल्डिंग मटेरियल भू स्वामी द्वारा सड़क पर डाला जाता है तो भवन निर्माणकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् पालिका द्वारा जारी निर्माण स्वीकृति को निरस्त की जा सकेगी।
- 13 भवन निर्माणकर्ता द्वारा 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के मुखण्ड पर निर्माण आरम्भ किये जाने से पूर्व साईट पर कम से कम एक शौचालय का निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा तथा शौचालय की संख्या प्रति 10 भागिक पर एक शौचालय निर्माण करना आवश्यक होगा। ताकि निर्माण कार्य में लगे मजदूर उसका प्रयोग कर सकें। यदि भवन निर्माणकर्ता द्वारा शौचालय का निर्माण नहीं किया जाता है तो निर्माण स्वीकृति को निरस्त किया जा सकेगा।
- 14 यह आदेश मानवीय उच्च न्यायालय में निर्मित वाद गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार के निर्णयाधीन रहेगा तथा नतीजान भविष्य में मास्टर प्लान के अनुरूप नियमों/उपनियमों को मानने के लिये सदैव बाध्य रहेंगे।
- 15 सांगीति के आदेशानुसार सैटबेक में गैरेज देय नहीं होगा।

स्वीकृति का प्रकार	आवासीय निर्माण
अनुमत निर्माण	जी+1
कुल क्षेत्रफल	533.33 वर्गगज
सैटबेक	अग्र 30'
	पार्श्व 15'
	पिछे 15'

यह स्वीकृति तीन वर्ष के लिये वैध है।

आवेदन शुल्क- 1,000/- जांच शुल्क- 5,333/- कुल राशि- 6,333/- जरिये रसीद संख्या 9069/7833 दिनांक 05.12.2019, भवन निर्माण शुल्क- 4,500/- बी.एस.यू.पी. शुल्क- 3,724/- मलबा शुल्क- 1,000/- विकास एवं संधारण शुल्क- 26,710/- भवन पूर्णता प्रमाण पत्र शुल्क- 5,585/- उपकर- 33,012/- कुल राशि- 74,531/- जरिये रसीद संख्या 9069/3417 दिनांक 17.03.2020, सुरक्षा एवं अपावत राशि- 5,000/- जरिये रसीद संख्या 9069/3419 दिनांक 17.03.2020 एवं वर्षाजल संग्रहण व अग्निशमन मुख्य रोड राशि- 5,000/- जरिये रसीद संख्या 9069/3418 दिनांक 17.03.2020 को निगम कोष में जमा करा दिये गये हैं, साथ ही आपको आदेशित किया जाता है कि दी गई स्वीकृति के विपरीत निर्माण कार्य करने पर आपके विरुद्ध राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194/236/245 के प्रावधान के तहत कार्यवाही की जावेगी। भवन निर्माण के पश्चात् मलबा सड़क पर पारा गया तो ज़मीना के रूप में 10,000/- (अक्षर दस हजार रुपये) वसूल किये जायेंगे।

Received  
[Signature]

[Signature]  
उपायुक्त (शहर)  
नगर निगम, जोधपुर